

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 33/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

प्रेम कुमार धाकड़ निवासी सलावटिया, बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा अधिकारी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि



निर्णय

दिनांक : 21.07.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 27.04.2023 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 27.03.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा जरिये डाक पत्र प्रेषित कर इस अपील प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा